

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

( धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): बूंदी P.S. (थाना): काप्रेन Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0171 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/11/2024 16:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग की विनियमन) 2007	11
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	465
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	167
8	भा दं सं 1860	170

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 11/10/2021 Date To (दिनांक तक): 11/10/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/11/2024 Time (समय): 15:57 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 022 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/11/2024 15:57:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): उत्तर - पश्चिम, 6.52 किमी Beat No. (बीट सं.): बलकासा

(b)Address(पता): BALKASA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S  
(थाना का नाम):

District(State)  
(जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SEKH NAZAR MOHAMMAD

(b) Father's Name (पिता का नाम): FAIJ MOHAMMAD

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1964

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 02, SAI JI KE TAKIYE KE PASS, LAKHERI, लाखेरी, बूंदी, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	WARD NO. 02, SAI JI KE TAKIYE KE PASS, LAKHERI, लाखेरी, बूंदी, राजस्थान, भारत

(j) Phone number  
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001398585

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SAVITRI MEENA		पति:UNKNOWN	1. SARPANCH, BALKADA, काप्रेन, बूंदी, राजस्थान, भारत
2	DURGA SHANKAR MEENA		पिता:UNKNOWN	1. GRAM VIKASH ADHIKARI, BALKASA, काप्रेन, बूंदी, राजस्थान, भारत
3	DALCHAND HC 77			1. POLICE THANA KAPREN, काप्रेन, बूंदी, राजस्थान, भारत

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

**9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

**10. Total value of property stolen(In Rs/-)**

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

**12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय लाखेरी जिला बून्दी । परिवादी शेख नजर मोहम्मद आयु 60 वर्ष आत्मज फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी साई जी का तकिए के पास वार्ड नम्बर 2 लाखेरी जिला बून्दी (राज०) बनाम 1. श्रीमती सावित्री मीणा सरपंच ग्राम पंचायत बलकासा तहसील के०पाटन जिला बून्दी (राज०) 2. दुर्गाशंकर मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम बलकासा तहसील के पाटन जिला बून्दी (राज०) 3. डालचन्द हेडकानि० 77 थाना कापरेन जिला बून्दी (राज०) अपराध अन्तर्गत धारा 11 भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग की विनियमन) 2007 एवं धारा 167, 170, 420, 465, 467, 468, 471 भा०द०स० , मान्यवर महोदय , परिवादी की और से निम्नलिखित परिवाद प्रस्तुत है कि 1. यह कि परिवादी जाबाज पत्रिका का पत्रकार है और जनहित व राजहित को ध्यान में रखते हुये जनता के हितो की रक्षा हेतु एवं उनके अधिकारो की रक्षा करता है । 2. यह कि परिवादी ने आर.टी.आई. के तहत जनवरी 2016 से सूचना देने तक की गोस्वारा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु मुलजिम संख्या 2 को आवेदन किया तो मुलजिम संख्या 2 के द्वारा अपने पत्र कमांक दिनांक 11-10-2021 को परिवादी को अपने लेटरपेड पर जवाब प्रस्तुत किया । उस लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह का मोनोग्राम अशोक स्तम्भ अंकित है । उक्त राष्ट्रीय चिन्ह मोनोग्राम पर अशोक स्तम्भ लगाने का मुलजिम संख्या 1 व 2 को अधिकार नहीं है । 3. यह कि परिवादी ने मुलजिम संख्या 2 के विरुद्ध दिनांक 30.12.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी को रिपोर्ट की गई कि ग्राम पंचायत बलकासा जिला बून्दी के ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पत्रांक दिनांक 11-10-2021 से मुझे अपने लेटर पेड पर जवाब प्रस्तुत किया उस लेटर पेड पर राष्ट्रीय चिन्ह का मोनोग्राम अशोक स्तम्भ अंकित है और मुलजिम संख्या 2 के द्वारा द स्टेट सिम्बल ऑफ इण्डिया के तहत अपराध किया है और राष्ट्रीय चिन्ह के दुरुपयोग को रोकने हेतु परिवाद पेश किया गया । जिस पर उक्त परिवाद को पुलिस थाना कापरेन में जाँच हेतु भेजा गया । जिसकी जाँच मुलजिम संख्या 3 के द्वारा की गई और मुलजिम संख्या 2 के द्वारा थाना अधिकारी पुलिस थाना कापरेन में एक रिपोर्ट दी गई । जिसमें अशोक स्तम्भ का मोनोग्राम की जानकारी नहीं होना बताया और उसके द्वारा मुलजिम संख्या 1 सरपंच महोदया से लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह मोनोग्राम लगा होने के सम्बन्ध में बातचीत की तो भुलवश मोनोग्राम लगाना होना बताया है । इसी प्रकार मुलजिम संख्या 1 के द्वारा भी थाना कापरेन में दिनांक 13-01-2022 को अपने लेटपेड पर एक रिपोर्ट दी की मेरे कार्यालय के लेटपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक स्तम्भ) को मोनोग्राम लगा हुआ था । जो मैने जानबुझकर नहीं लगाया था । यह लेटर पेड पर मोनोग्राम प्रिटिंगप्रेस वाले ने लगा दिया था । 4. यह कि परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में लोकायुक्त महोदय सचिवालय जयपुर में भी दिनांक 07-03-2022 को शिकायत की गई और उक्त शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा मुलजिम संख्या 3 के द्वारा जो जाँच की गई वह जाँच दुर्भावना पूर्वक मुलजिम संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर बनाई गई तथा मुलजिम संख्या 3 के द्वारा जाँच में यह लिखा की अपरिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला भुलवश लेटरपेड पर राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक स्तम्भ) का मोनोग्राम होना पाया गया जिसको हटवा दिया गया है एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने बाबत् लिखित में देने से परिवाद को शामिल फाईल करवाया गया और मुलजिम संख्या 3 के द्वारा मुलजिम संख्या 1 व 2 का अपराध प्रमाणित होते हुये भी उनको बचाने के उद्देश्य से गलत जाँच रिपोर्ट तैयार की जिसको श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी को दिनांक 23-06-2022 को पेश की गई है । मुलजिम संख्या 1 व 2 के द्वारा अपना अपराध कबुल करने के बावजूद भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की गई , ना ही उक्त मामले में मुलजिमान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । 5. यह कि अभियुक्तगण ने प्रारम्भ से ही अपनी दुषित मंशा से एवं उक्त संप्रतीक चिन्ह अशोक स्तम्भ का गैर कानूनी रूप से लेटर हेड पर अवैधानिक रूप से इस्तेमाल उप प्रयोग करने हेतु

अपराधिक योजना तैयार करके कुटरचित दस्तावेज बना डाला जो भारत का राज्य संप्रतिक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 के नियम 10 का उल्लंघन है तथा जो केन्द्रीय सरकार भारत का राज्य संप्रतिक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 की धारा 11 के अधीन है। 6. यह कि अभियुक्तगण ने इस संप्रतिक चिन्ह का विभिन्न दस्तावेजों में गैरकानूनी रूप से उपयोग करके भारत सरकार के विरुद्ध कार्य किया है। जो भारी मात्रा में कुटरचित दस्तावेज बनाये हैं वे अभी भी अभियुक्तगण के कब्जे में हैं और उन्हें असली की तरह प्रयोग में ले रहे हैं। यदि उक्त दस्तावेज अभियुक्त से तत्काल बरामद नहीं किये तो उनके अवैधानिक उपयोग एवं प्रयोग से भारत सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। 7. यह कि इस पर परिवादी की ओर से एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी को दिनांक 30-12-2021 को की गई। लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो दिनांक 07-03-2022 को लोकायुक्त महोदय सचिवालय में रिपोर्ट की गई और आई.जी. साहब महानिदेशक पुलिस जयपुर को भी रिपोर्ट की गई। लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परिवादी को दिनांक 23.11.2022 को लोकायुक्त सचिवालय से पत्र प्राप्त हुआ। लेकिन मुलजिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से परिवादी श्रीमान् के समक्ष उक्त परिवाद प्रस्तुत करता है। 8. यह कि मुलजिम का उक्त कृत्य भा०द०स० की अपराध अन्तर्गत धारा 11, भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग की विनियमन) 2007 एवं धारा 167, 170, 420, 465, 467, 468, 471 भा०द०स० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मुलजिमान को उनके कृत्य की सजा दिलाई जावे। 9. यह कि उक्त परिवाद को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। 10. यह कि उक्त परिवाद श्रीमान् के न्यायालय में निश्चित न्यायशुल्क व तावाहान के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुलजिमान के विरुद्ध अपराध धारा 11, भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग की विनियमन) 2007 एवं धारा 167, 170, 420, 465, 467, 468, 471 भा०द०स० के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करवाया जाकर के 156(3) में भिजवाया जाकर के निष्पक्ष जांच व अनुसंधान किया जाकर मुलजिमान को उनके कृत्य की सजा दिलवाई जाने की आज्ञा प्रदान करें। परिवादी शेख नजर मोहम्मद आयु 60 वर्ष आत्मज फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी साई जी का तकिए के पास वार्ड नम्बर 2 लाखेरी जिला बून्दी मो.नं.

थाना कापरेन जिला बून्दी राज. दिनांक 25.11.2024 समय 3.57 पीएम -

कार्यवाही पुलिस - प्रमाणित किया जाता है कि उक्त इस्तगासा न्यायालय श्रीमान् जे.एम. के.पाटन जिला बून्दी से अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी में फरियादी शेख नजर मोहम्मद आयु 60 वर्ष आत्मज फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी साई जी का तकिए के पास वार्ड नम्बर 2 लाखेरी जिला बून्दी का प्राप्त हुआ। मजमून इस्तगासा से मामला जुर्म अपराध धारा 11, भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग की विनियमन) 2007 एवं धारा 420, 465, 467, 468, 471, 167, 170 आईपीसी का वकू में आना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान बजिम्मे स्वयं लिया जाकर मशरुफ अनुसंधान हुआ। प्रतियां एफआईआर सीसीटीएनएस पर प्रविष्टी उपरान्त नियमानुसार जारी की गई। एफआईआर नम्बर पृथक से अंकित किये जावेंगे। एसआर नियमानुसार जारी की गई। एसडी कमल सिंह उप.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना कापरेन जिला बून्दी राज.

सीसीटीएनएस एफआईआर क्रमांक - / 2024

**13. Action taken :** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

**(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

Kamal Singh (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक) /

or (या)

**(2) Directed (Name of I.O.):**

**Rank**

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

**No(सं.):**

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

**(3) Refused investigation due to**

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Kamal Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला	2006				
2	पुरुष	2006				
3	पुरुष	2006				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)